

पत्र

क्र. मह.आस्था.कार्या-१अ/आरआर- १०६६ /२०२२.  
जिल्हाधिकारी कार्यालय, स्वराज्य भवन,  
नागाळा पार्क, कोल्हापूर.  
दिनांक :- २९/११/२०२२

प्रति,

उपविभागीय अधिकारी- करवीर/राधानगरी/इचलकरंजी/गडहिंगलज/भुदरगड/पन्हाळा

विषय :- तलाठी पदभरती करीता तपशील सादर करण्याबाबत


संदर्भ :- १. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचेकडील पत्र क्र.तलाठी-  
२०२२/प्र.क्र.१९०/ई-१० दिनांक २९/११/२०२२

उपरोक्त विषयास अनुसरून राज्यातील तलाठी (गट क) संवर्गाची दिनांक ३१/१२/२०२० अखेर रिक्त असलेली पदे तसेच तलाठी संवर्गाची नव्याने निर्माण करण्यात आलेली पदांकरिता भरती प्रक्रिया राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याअनुषंगाने तलाठी (गट क) संवर्गाच्या भरावयाच्या पदांबाबत मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावली प्रमाणित करून त्यासंदर्भातील सामाजिक आरक्षण व समांतर आरक्षणनिहाय तपशील (Vacancy Matrix) सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र ब प्रमाणे सादर करणेबाबत संदर्भांकित पत्रान्वये सुचना प्राप्त झालेल्या आहेत.

याअनुषंगाने आपले उपविभागीय कार्यालयाचे आस्थापनेवरील गट-क तलाठी संवर्गाची बिंदुनामावली मा.सहा.आयुक्त, मागासवर्ग कक्ष, पुणे यांचेशी समन्वय साधून प्रमाणित करून घेणेबाबत कार्यवाही करावी. तसेच आपले उपविभागीय कार्यालयाचे आस्थापनेवरील गट-क तलाठी संवर्गाची बिंदुनामावली प्रमाणित केलेल्या प्रतीसह विवरणपत्र -ब मध्ये पदांचा बिनचूक तपशील नमूद करून अहवाल इकडील कार्यासनाकडे सादर करण्यात यावा. सदरची कार्यवाही दि. ०५/१२/२०२२ पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत सदरची कार्यवाही पूर्ण करावी. सोबत संदर्भांकित पत्राची छायांकित प्रत आहे.

(दत्तात्रय कवितके)

निवासी उपजिल्हाधिकारी  
कोल्हापूर



महाराष्ट्र शासन  
महसूल व वन विभाग

मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२  
दुरध्वनी क्र. (०२२) २२७९३७५४

तलाठी-२०२२/ प्र.क्र.१९०/ई-१०

दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२

प्रति,

विभागीय आयुक्त,  
कोकण / नाशिक / पुणे / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर

विषय :- तलाठी पदभरतीकरीता जिल्हानिहाय तपशील सादर करण्याबाबत.


महोदय,

विषयांकित प्रकरणी राज्यातील तलाठी (गट-क) संवर्गाची दि.३१/१२/२०२० अखेर रिक्त असलेली-१०१२ पदे तसेच तलाठी संवर्गाची नव्याने निर्माण करण्यात आलेली-३११० पदे अशा एकूण-४१२२ पदांची पदभरती प्रक्रिया राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने महसूली विभागनिहाय तलाठी (गट-क) संवर्गाच्या भरावयाचा पदांचा तपशील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये आहे.

२. विवरणपत्र-अ तक्त्यातील तलाठी (गट-क) संवर्गाच्या भरावयाच्या पदांबाबत मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावली प्रमाणित करून त्यासंदर्भातील सामाजिक आरक्षण व समांतर आरक्षणनिहाय तपशील (VACANCY MATRIX) सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-ब प्रमाणे जिल्हानिहाय माहिती कोणत्याही परिस्थितीत १५ दिवसात शासनास पाठविण्यात यावी.

३. त्याकरीता तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने आपल्या विभागाच्या अधिनस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागविण्यात येणारी माहिती प्राप्त करून ती शासनास सादर करण्याबाबत सर्व उपआयुक्त (महसूल) यांना "समन्वय अधिकारी" म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. तरी सदरची माहिती कोणत्याही परिस्थितीत विहित कालावधीत तपासून खास दुताद्वारे शासनास पाठविण्याची दक्षता घ्यावी, ही विनंती.

आपला,

  
२९/११/२०२२  
(श्रीकांत म. मोहिते)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

विवरणपत्र-अ

| अ.क्र.                | जिल्हा      | यापूर्वी शासन मान्यता दिलेली पदे | नव्याने निर्माण करण्यात आलेली पदे | एकूण भरावयाची पदे |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>नाशिक विभाग</b>    |             |                                  |                                   |                   |
| १                     | नाशिक       | ७७                               | १७५                               | २५२               |
| २                     | धुळे        | ६७                               | १६६                               | २३३               |
| ३                     | नंदुरबार    | ४०                               | ००                                | ४०                |
| ४                     | जळगाव       | ५२                               | १४६                               | १९८               |
| ५                     | अहमदनगर     | ११०                              | २०२                               | ३१२               |
| एकूण                  |             | ३४६                              | ६८९                               | १०३५              |
| <b>औरंगाबाद विभाग</b> |             |                                  |                                   |                   |
| १                     | औरंगाबाद    | ४०                               | ११७                               | १५७               |
| २                     | जालना       | १५                               | ८०                                | ९५                |
| ३                     | परभणी       | ०८                               | ७६                                | ८४                |
| ४                     | हिंगोली     | ०७                               | ६१                                | ६८                |
| ५                     | नांदेड      | ३५                               | ८४                                | ११९               |
| ६                     | लातूर       | ११                               | ३९                                | ५०                |
| ७                     | बीड         | २६                               | १३८                               | १६४               |
| ८                     | उस्मानाबाद  | २०                               | ९०                                | ११०               |
| एकूण                  |             | १६२                              | ६८५                               | ८४७               |
| <b>कोकण विभाग</b>     |             |                                  |                                   |                   |
| १                     | मुंबई शहर   | ००                               | १९                                | १९                |
| २                     | मुंबई उपनगर | ०८                               | ३१                                | ३९                |
| ३                     | ठाणे        | ११                               | ७२                                | ८३                |
| ४                     | पालघर       | ७१                               | ८६                                | १५७               |
| ५                     | रायगड       | ३२                               | १४०                               | १७२               |
| ६                     | रत्नागिरी   | ३९                               | १०३                               | १४२               |
| ७                     | सिंधुदुर्ग  | २०                               | ९९                                | ११९               |
| एकूण                  |             | १८१                              | ५५०                               | ७३१               |
| <b>नागपूर विभाग</b>   |             |                                  |                                   |                   |
| १                     | नागपूर      | ३१                               | ९४                                | १२५               |
| २                     | वर्धा       | १३                               | ५०                                | ६३                |
| ३                     | भंडारा      | ०९                               | ३८                                | ४७                |
| ४                     | गोंदिया     | ११                               | ४९                                | ६०                |
| ५                     | चंद्रपूर    | १८                               | १३३                               | १५१               |
| ६                     | गडचिरोली    | २०                               | ११४                               | १३४               |
| एकूण                  |             | १०२                              | ४७८                               | ५८०               |

*Sandip*

| अमरावती विभाग  |           |      |      |      |
|----------------|-----------|------|------|------|
| १              | अमरावती   | १२   | ३४   | ४६   |
| २              | अकोला     | ११   | ०८   | १९   |
| ३              | यवतमाळ    | २३   | ५४   | ७७   |
| ४              | वाशिम     | १०   | ००   | १०   |
| ५              | बुलडाणा   | २१   | १०   | ३१   |
| एकूण           |           | ७७   | १०६  | १८३  |
| पुणे विभाग     |           |      |      |      |
| १              | पुणे      | ०८   | ३३१  | ३३९  |
| २              | सातारा    | ००   | ७७   | ७७   |
| ३              | सांगली    | ३८   | ५२   | ९०   |
| ४              | सोलापूर   | ६३   | १११  | १७४  |
| ५              | कोल्हापूर | ३५   | ३१   | ६६   |
| एकूण           |           | १४४  | ६०२  | ७४६  |
| राज्यातील एकूण |           | १०१२ | ३११० | ४१२२ |

**विवरणपत्र-ब**

| सामाजिक प्रवर्ग    | भरावयाची पदे | सर्वसाधारण | महिला | खेळाडू | माजी सैनिक | प्रकल्पग्रस्त | भूकंपग्रस्त | दिव्यांग | पदवीधर अंशकालीन | अनाथ |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------|------------|---------------|-------------|----------|-----------------|------|
|                    | १            | २          | ३     | ४      | ५          | ६             | ७           | ८        | ९               | १०   |
| अ.जा.(१३%)         |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| अ.ज.(७%)           |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| वि.जा.अ.(३%)       |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| म.ज.व.(२.५%)       |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| म.ज.क.(३.५%)       |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| म.ज.ड.(२%)         |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| वि.मा.प्र.(२%)     |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| इ.मा.व.(१९%)       |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| ई.डब्ल्यू.एस.(१०%) |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| अराखीव(३८%)        |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| पेसा (असल्यास)     |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |
| एकूण               |              |            |       |        |            |               |             |          |                 |      |

*सिद्धांत*